न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./22/2021/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. सुगणी पुत्री लाखाराम पत्नी छोगाराम उम्र 62 वर्ष जाति विश्नोई निवासी बारासण हाल निवासी गौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी 2. नेनू पुत्री लाखाराम पत्नी भीखाराम उम्र 54 वर्ष जाति विश्नोई निवासी बारासण हाल निवासी अरटवाव तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 3. मीरा पुत्री लाखा पत्नी बाबूलाल उम्र 49 वर्ष जाति विश्नोई निवासी बारासण हाल भीलों की ढाणी, बारासण तहसील गुड़ामालानी	1. बाबू पुत्र लाखाराम 2. भागीरथ पुत्र लाखाराम 3. हीराराम गोदपुत्र तेजाराम का. मु.3/1जगदीश पुत्र हीरा 3/2झमूदेवी पत्नी हीरा 4. भारमल पुत्र वरीगाराम 5. मोहन पुत्र वरीगाराम 6. शंकरराराम पुत्र वरीगाराम 7. करनाराम पुत्र केशरराराम का.मु 7/1किशनाराम पुत्र करनाराम 7/2रूगनाथ पुत्र करनाराम 7/3तुलछी पत्नी करनाराम 8. हनुमानराम पुत्र शोभाराम 9. हरीराम पुत्र रिड़मलराम 10. नवलाराम पुत्र सुजाराम 11. रामाराम पुत्र सुजाराम कौम विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी 12. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. शाखा गुड़ामालानी 13. श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 126/2014 बअनवान बाबू वगै. बनाम हीराराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.01.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—09.06.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व 02 ने एक राजस्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

से 05 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की पैतृक खातेदारी भूमि ग्राम बाराराण में खसरा नम्बर 612 रकबा 122.12 बीघा की आई हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि का पर्चा लगान वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पूर्वजों के नाम से जारी हुआ तथा उनके फौत होने पर वादग्रस्त भूमि में लाखा, तेजा, वरीगा, करना का बहिस्सा बराबर-बराबर 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का था तथा इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त था। सहखातेदार तेजा पुत्र केहरा के कोई जायंदा संतान न होने के कारण तेजा ने अपने जीवनकाल मे अपने भाई लाखा के पुत्र हीरा प्रतिवादी संख्या 01 को पंजीवद्ध गोदनामा दिनांक 29.06.1995 द्वारा गो ले लिया था। तेजा के स्वर्गवास होने से विरासत में उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 हीरा का नाम हीरा गोद पुत्र तेजाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। लाखा के फौत होने पर उसके 1/4 हिस्से की भूमि पर वादीगण काबिज हो गये परन्तु जब लाखा पुत्र केसरा फौत हुआ तब लाखा की फौतगी का नामान्तरकरण पारित किया गया जिसमें राजस्व अधिकारियों ने लाखा के विधिक वारिशानों की जांच किये बिना ही आनन फानन में गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 01 हीरा जो पूर्व में ही तेजा के गोद जा चुका था तथा लाखा की सम्पति में हक व अधिकार खत्म हो चुके थे, को सम्मलित करते हुए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के साथ संयुक्त रूप से लाखा के खातेदारी हिस्से में अंकन किया गया जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार प्रतिवादी हीरा ने गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में दो बार अंकन करवाया। प्रतिवादी हीरा का नाम खाला की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण से हटाकर केवल मात्र स्व. तेजा के हिस्से तक ही रखने एवं वादीगण का हिस्सा अलग घोषित करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु हस्तगत वाद पेश किया गया। वादी द्वारा पेश वाद में अपीलांटगण को जानबुझकर पक्षकान नहीं बनाया गया जबकि अपीलांटगण भी वादीगण की सगी बहने होने व स्व. लाखा की जायंदा पुत्रिया थी। इसके बावजूद भी उतरदाता संख्या 01 व 02 ने अपीलांगण को वाद में पक्षकार नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादी द्वारा पेश वाद में अपीलांटगण को जानबुझकर पक्षकान नहीं बनाया गया जबकि अपीलांटगण भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादीगण की सगी बहने होने व स्व. लाखा की जायंदा पुत्रिया थी। इसके बावजूद भी उतरदाता संख्या 01 व 02 ने अपीलांगण को वाद में पक्षकार नहीं बनाया। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत वाद में पक्षकार बनने हेतु एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी का दिनांक 31.08.2020 को पेश कर अपीलांटगण स्व. लाखा की जायंदा पुत्रियां होने के आधार पर पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया गया, जिस प्रार्थना-पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2021 को खारिज कर दिया जो कतई विधि सम्मत नही है। वादग्रस्त भूमि में स्व. लाखा के 1/4 हिस्से में अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 व 02 समान रूप से हक हिस्सा है, क्योंकि अपीलांटगण स्व. लाखा की जायंदा पुत्रिया है परन्तु लाखा की फौतगी के समय पारित नामान्तरकरण में अपीलांटगण का नाम दर्ज नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलांटगण को हस्तगत वाद में पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत लेकर अपीलांटगण को उतरदाता संख्या 01 व 02 के साथ1/4 हिस्से में सहखातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर गलत रूप से वाद को डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण को पक्षकार के रूप में संयोजित किये बिना एकपक्षीय रूप से पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांटगण द्वारा पैतृक आराजी में अपने हिस्से की घोषणा के लिए पेश वाद विचाराध है लेकिन उतरदाता द्वारा पेश वाद को डिक्री कर दिया गया जबकि दोनों ही मूल वादों का निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायोचित था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:-

SUPREME COURT OF INDIA APPEAL NO. 32601 OF 2018

(VINEETA SHARMA VRS RAKESH SHARMA)

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी इस बात का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया कि प्रार्थीनीगण कौन है किसकी पुत्री है पिता, पति का नाम क्या है कहां की निवासी है आदि किसी प्रकार का विवरण अंकित नहीं किया है। और ना ही स्वयं की पहचान एवं लाखा की पुत्री होने बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी बाद विस्तृत विवेचन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के खारिज किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांटगण द्वारा उतरदातागण को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत घोषणा की डिक्री जारी की गई। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण को उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा वाद में पक्षकार न बनाने के कारण उक्त वाद की जानकारी नहीं हो सकी, जब अपीलांटगण को हस्तगत वाद के बारे में जानकारी हुई तो अपीलांटगण द्वारा उक्त वाद में पक्षकार बनने हेतु आदेश 01 नियम 10 सी पी सी के तहत आवेदन पेश भी किया जो आवेदन खारिज कर दिया। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के वाद व निर्णय में पक्षकार नहीं है जिस कारण अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी बाद विस्तृत विवेचन के खारिज किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को स्व. लाखा की पुत्रियां नहीं माना गया। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश करते वक्त किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिससे अपीलांटगण को लाखा की पुत्रियां माना जा सके। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने फॉर्म नं. 03 के संलग्न दस्तावेज पेश किये जो अपील पर अंतिम बहस होने के पश्चात पेश किये जो पेश करने के अधिकारी नहीं है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेज पूर्व नियोजित योजना से तैयार कर गलत दस्तावेजात को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायालय को भ्रमित करने का कार्य किया गया। उतरदाता संख्या 01 व 02 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये वैधानिक अधिकारों को महरूम करने के लिए अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील पेश की गई जिसे पेश करने की अपीलार्थीगण अधिकारिता भी नहीं रखते है। अतः प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सी पी सी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

इसी स्तर पर खारिज किया जाकर अपीलांटगण को अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील में वक्त बहस पेश दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया अपीलांटगण स्व. लाखा की पुत्रियां ठहरती है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जिससे अपीलांटगण अपना क्लेम साबित नहीं कर पाई। अपीलांटगण को अपने हितों की रक्षा के लिए सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सी पी सी को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांटगण को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली का पर उपलब्ध दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि उतरदाता संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद में अपीलांटगण को जानबूझकर पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष अपीलांटगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी को विधि से परे जाकर खारिज किया गया जबकि अपीलांटगण द्वारा आवेदन के समर्थन में पेश शपथ–पत्र एवं वकालतनामा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम स्व. लाखा की पुत्रियां है। उभयपक्षकारान अपीलाधीन आराजी को एक नजर में पैतृक होना स्वीकार करते है तथा पैतृक भूमि में पुत्रियों का जन्म से ही अधिकार नियत हो जाता हैं। अपीलांटगण को हस्तगत प्रकरण में अपना पक्ष रखने तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में अपीलांटगण को पक्षकार के रूप में संयोजित किये बिना एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाईएवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने योग्य ठहरता है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 126/2014 बअनवान बाबू वगै. बनाम हीराराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.01.2021 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को हस्तगत वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर अपीलांटगण को जवाब दावा, साक्ष्य, सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय अधिकतम छह माह में पारित करे। उभयपक्षकारान को हिदायत दी जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.08.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर